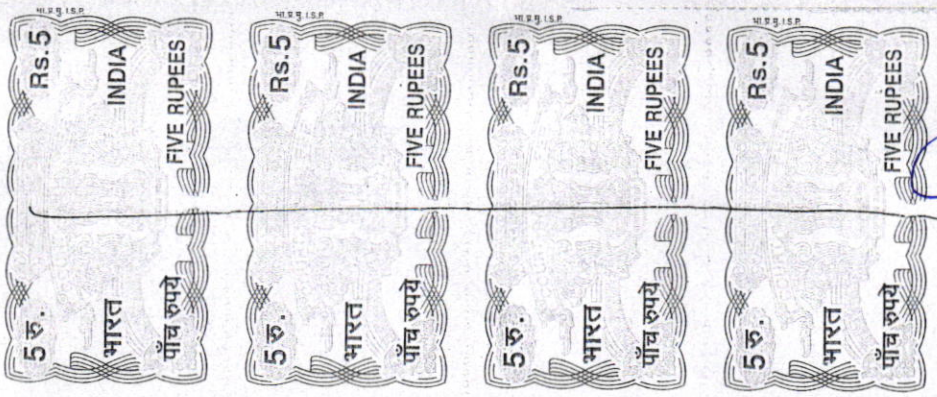

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

140

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१५ निगरानी निग /1401/4-II-15

श्रीमती राजेश्वरी पत्नी श्री घनश्याम कुशवाह, निवासिन जेल के पास, डबरा, तहसील- डबरा जिला ग्वालियर-म०प्र०।

(अभि श्री एम के ...) --- प्राथिया

विरुद्ध

सुनीता पत्नी श्री रामकिशन, निवासिन ग्राम मडौना, तहसील इन्दरगढ़, जिला दतिया-मध्यप्रदेश।

(अभि श्री जे.के. ...) --- प्रतिप्राथी

दिनांक 15-12-15 को श्री ... अभि० द्वारा प्रस्तुत/ 15-12-15 SO

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय इन्दरगढ़, जिला दतिया दिनांक ३०-११-१५ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, ५६ प्र०क्र० निल।अ-६-अ।१४-१५ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सहीनहीं है।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सहीनहींसमझा है।

३- यह कि, वर्तमान प्रकरण धारा ११५,११६ भू-राजस्व संहिता की परिधि में न आने से प्रथम दृष्टया ही, प्रचलन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को गतिशील रखने में भूल की गई है।

४- यह कि, राजस्व अभिलेख में किये गये इन्द्राज के सम्बन्ध में समयावधि की गणना किये गये इन्द्राज के दिनांक से होगी न कि इन्द्राज की जानकारी के दिनांक से। ऐसी स्थिति में

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 4014/ ।।/2015 निगरानी जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–10–2016	आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.अवस्थी उपस्थित, अनावेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री जे. डी. सिंह उपस्थित। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार इन्दरगढ, जिला दतिया के प्रकरण कमांक 2/अ 6 अ/ 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि,अनावेदिका द्वारा ग्राम भदौना, तहसील इन्दरगढ, जिला दतिया स्थित आराजी सर्वे कमांक 494 रकवा 0.40 हैक्टर एवं आराजी सर्वे कमांक 503 रकवा 0.25 हैक्टर भूमि के इन्द्राज दुरूस्ती हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता –1959 की धारा– 115–116 के तहत तहसीलदार, तहसील इन्दरगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार इन्दरगढ द्वारा अनावेदिका के आवेदन पत्र को प्रकरण कमांक 2/अ6अ/2014–15 पर दर्ज किया जाकर, आदेश दिनांक 30–11–2015 को आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की जाकर,प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया। त्हसीलदार इन्दरगढ के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि,अनावेदिका द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन पत्र म्याद बहार प्रस्तुत किया गया है।	

यदि यह मान भी लिया जायें कि उसका नाम केबल वर्ष 2012–13 में अंकित था। और आगे उसका नाम हटा दिया गया है तो उसे गलत नाम की प्रबिष्टि का संशोधन नियमानुसार धारा 116 की म्यांद की परिधि में एक वर्ष के अंदर करा लेना चाहिए था। जबकि उसके नाम की प्रबिष्टि को हटे 12 माह के स्थान पर 28 माह हो चुके है। इस कारण उसके द्वारा आवेदन 16 माह म्यांद के बाहर प्रस्तुत किया है। आवेदन के साथ बिलंब छमा किये जाने हेतु म्यांद अधिनियम की धारा–5 मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह तर्क भी दिया गया है कि, आवेदिका की प्रबिष्टि वर्ष 2005–06 के पूर्व से राजस्व अभिलेखो मे चली आ रही है। केवल गलत तरीके से सन् 2012–13 में अनावेदिका ने जो अवैध प्रबिष्टि करा ली है वह गलत है उसके बाद वर्ष 2013–14 से वर्तमान तक मौजा पटवारी ने हस्तलिखित पूर्व राजस्व अभिलेखो से कम्प्यूटर का मिलान कर पूर्व रिकार्ड अनुसार प्रबिष्टि को सही किया गया है। अनावेदिका को धारा–115 के अन्तर्गत प्रबिष्टि संशोधन कराने का अधिकार नहीं है क्योकि यह अधिकार केवल माननीय न्यायालय कोक स्वंय करने का अधिकार प्रदान करती है। अतं में उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, विवादित भूमि अनावेदिका के स्वत्व की है। उसका नामान्तरण भी किया जा चुका है। प्रकरण अभी तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार इन्दरगढ के समक्ष 16 माह विलम्व से इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन पत्र धारा 115–116 का प्रस्तुत किया गया है। जिसके विलम्व हेतु धारा–5 का आवेदन एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा आवेदिका की आपत्ति का वैधानिक निराकरण नहीं किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि, अनावेदिका ने सर्वे क्रमांक 494 रकवा 0.40 हैक्टर एवं सर्वे क्रमांक 503 रकवा 0.25 हैक्टर पर गोपनीय तरीके से कम्प्यूटर अभिलेखो में बिना किसी सक्षम अधिकारी के वर्ष 2012–13 में अपना नाम गलत तरीके से प्रबिष्टि करा लिया था जिसें मौजा पटवारी ने हस्तलिखित अभिलेखो के आधार पर पूर्व के खसरो की प्रबिष्टि के अनुसार दुरूस्त कर आवेदिका का नाम प्रबिष्टि कर दिया गया था। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तहसीलदार इन्दरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, तहसीलदार इन्दरगढ के प्रकरण क्रमांक 2/अ 6 अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर